न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 601/2023
अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. निहाल सिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. पृथ्वीराज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सुनील पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 1.8340 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 30/25 की कुल 11.8500 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार जो मिताक्षरा हिन्दू विधि से शास्ति है तथा उपरोक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि व दालाई सम्पति वादी के पूर्वजों ख्यालीराम के नाम दर्ज रही है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दंर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है एवं प्रतिवादी स0 4 जो की व[illegible] प[illegible]वादी स0 5 का पिता है के हक हिस्सा में वादी व प्रतिवादी स0 4 का [illegible] है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय द[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुतत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है एवं प्रतिवादी स0 4 जो की वादी व प्रतिवादी स0 5 का पिता है के हक हिस्सा में वादी व प्रतिवादी स0 4 का जन्मजात बहिब हक हिस्सा है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 1.8340 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 30/25 की कुल 11.8500 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है एवं प्रतिवादी स0 4 जो की वादी व प्रतिवादी स0 5 का पिता है के हक हिस्सा में वादी व प्रतिवादी स0 4 का जन्मजात बहिब हक हिस्सा है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अत वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी स0 प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को उक्त भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी स0 4 के हक हिस्सा में वादी व प्रतिवादी स0 4 व 5 को बहिब के खतोदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 1.8340 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 30/25 की कुल 11.8500 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्साा भूमि के एवं वादी व प्रतिवादी स0 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 601/2023

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. निहाल सिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. पृथ्वीराज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सुनील पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 601 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/03/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 1.8340 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 30/25 की कुल 11.8500 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्साा भूमि के एवं वादी व प्रतिवादी स0 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .....30/03/2026.....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:23:16 IST
Reason: SelfAttested